[2021] 4 एस. सी. आर. 95

सुधा सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 448)

23 अप्रैल, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

जमानतः एस के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त को जमानत दी गई। 3 (1) यू. पी. गैंगस्टर एंड एंटी

सामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986-अभियुक्त कथित रूप से एक अनुबंध हत्यारा और शार्प शूटर है और दूसरों के साथ साजिश में अपीलार्थी के पति की कथित रूप से हत्या कर दी-पहले उस पर हत्या, हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश सहित गंभीर अपराधों के लिए 15 मामलों में मुकदमा चलाया गया था-उच्च न्यायालय ने आरोपी को उदार शर्तों पर जमानत दे दी-शिकायतकर्ता द्वारा अपील-आयोजितः उच्च न्यायालय ने कई पहलुओं की अनदेखी की, जैसे कि गवाहों के लिए संभावित खतरा, निचली अदालत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर करना-इस प्रकृति के मामलों में, यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें केवल उनके सामने के पक्षों और विचाराधीन घटना को ध्यान में रखते हुए एक पलक झपकाते हुए जमानत पर एक आरोपी को नहीं बढ़ाती हैं-उच्च न्यायालय ने बस आरोपी की पृष्ठभूमि और उसकी आपराधिक गतिविधियों को व्यवस्थित करके उसके कृत्यों को दोहराने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया-जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय ने कई पहलुओं की अनदेखी की है, जैसे कि गवाहों के लिए संभावित खतरा, निचली अदालत को मजबूर करना।

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, यहां तक कि अपराध के आरोपी व्यक्ति की भी, लेकिन अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो पीड़ितों/गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे की पहचान करें। [पैरा 12] [99-बी]

[2021] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: [2014] 12 एस. सी. आर. 453; एश मोहम्मद बनाम। शिव राज सिंह (2012) 9 एससीसी 446: [2012] 7 एस. सी. आर. 584; प्रशांत कुमार सरकार वी. आशीष चटर्जी और एक अन्य (2010) 14 एससीसी 496: [2010] 12 एस. सी. आर. 1165-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एससीआर 453

उस पर भरोसा करें

पै रा 9

[2012] 7 एससीआर 584

उस पर भरोसा करें

पै रा 10

[2010] 12 एससीआर 1165

उस पर भरोसा करें

पै रा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2021 का सं. 448।

उच्च न्यायालय के 08.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2018 की आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3623 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

निर्मल कुमार अम्बस्ता, सुश्री अश्मिता बिसारिया, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

सुश्री सृष्टि सिंह, अजय कुमार प्रजापति, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्याय

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील है।

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए आरोपी को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।

3. अपीलार्थी मृतक पीड़ित राजनारायण की पत्नी है।

सिंह जिसकी कथित रूप से आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई है, जो इसमें प्रतिवादी संख्या 2 है, दूसरों के साथ साजिश में। 2015 का मामला अपराध संख्या 200 वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट, पी. एस.-सोधारी, जिला। आजमगढ़, उस संबंध में दर्ज किया गया था और अपराधों के लिए एक आरोप पत्र

अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। द.

आरोपी पर अनुबंधित हत्यारा और शार्पशूटर होने का आरोप है।

वास्तव में, सुधा सिंह वी। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

उनकी रिहाई के एक महीने के भीतर अधिकारियों और प्रतिभूओं को प्रस्तुत करना। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के पूर्ववृत्त और उसकी आपराधिक गतिविधियों को व्यवस्थित करके उसके कृत्यों को दोहराने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया है। 6. अपीलार्थी, जो मृतक पीड़ित की पत्नी है, द्वारा यह कहा गया है कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त का आचरण

2016 का मामला सं. 511 सहयोग न करने वाला रहा है।

पहले गवाहों की जाँच करना, फिर उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रार्थना करना और फिर अपने गुर्गों के माध्यम से गवाहों को धमकी देना। वास्तव में, अभियुक्त के आचरण ने सत्र अदालत को पुलिस को मुकदमे के दौरान अदालत में सुरक्षा प्रदान करने और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया। 7. अपीलार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि गैंगस्टरों को नियमित तरीके से जमानत देने से अतीत में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपीलार्थी एकटा व्यक्तिक उदाहरण दैत अछि।

जिन पर 64 आपराधिक मामलों के संबंध में मुकदमा चलाया गया था जिसमें हत्या, डकैती के अपराध, आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और यूपी-गैंगस्टर अधिनियम आदि के तहत अपराध शामिल थे, लेकिन जिन्हें रिहा कर दिया गया था।

जमानत पर। अंततः, जब एक पुलिस दल एक मामले में उसे पकड़ने गया, तो कथित तौर पर 8 पुलिसकर्मी मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए, अपीलार्थी का तर्क है कि अदालतों को हिस्ट्रीशीटरों को रिहा करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, जिन पर कई बार हत्या, बलात्कार या अन्य प्रकार के शारीरिक नुकसान जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है। 8. हम इस मामले में पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने कई पहलुओं की अनदेखी की है, जैसे कि गवाहों के लिए संभावित खतरा, निचली अदालत को मजबूर करना [2021] 4 एस. सी. आर.

संरक्षण देने के लिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के मामलों में, यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें केवल उनके सामने आने वाले पक्षों और विचाराधीन घटना को ध्यान में रखते हुए एक पलक झपकाते हुए जमानत पर किसी आरोपी का विस्तार न करें। अदालतों के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने से गवाहों और पीड़ित के परिवार के निर्दोष सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अगले पीड़ित हो सकते हैं।

9. नीरू यादव बनाम यू. पी. 1 राज्य के मामले में इस अदालत ने कहा कि जब यह रुख अपनाया गया कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर था, तो यह था

उच्च न्यायालयों के लिए हर पहलू की जांच करना अनिवार्य है और नहीं चतुराई से दर्ज करें कि अभियुक्त समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार था।

10. एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह 2 में, इस न्यायालय ने कहा कि जब नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीने से डरते थे और जघन्य अपराध एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना में बाधा थे, तो अदालतें और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और बोझ भारी होता है। इसने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के उचित विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया।

11. प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और

अन्य 3, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह न्यायालय आम तौर पर किसी अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी, उच्च न्यायालय के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना समान रूप से अनिवार्य था इस न्यायालय के निर्णयों के एक समूह द्वारा निर्धारित अनुपात के विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अनुपालन में। निर्णय में निर्धारित कारक

ये थेः

((i) क्या कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार था

मान लीजिए कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

((ख) आरोपों की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

((iv) जमानत मिलने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

(v)

चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति

अभियुक्त;

1 (2014) 16 एससीसी 508 2 (2012) 9 एससीसी 446 3 (2010) 14 एससीसी 496 हा सिंह बनाम।

((vi) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना; ((vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका;

और

(viii) जमानत देने से न्याय बाधित होने का खतरा।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, यहां तक कि एक व्यक्ति की भी।

अपराध के साथ एड लेकिन अदालतों के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण हैपीड़ितों/गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा, यदि ऐसा आरोपी है।

जमानत पर रिहा हो गए।

13. इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और अभियुक्त को जमानत देने वाले आबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देते हैं।

अपील की

अनुमति दी गई।

गुजराल